

भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2770
उत्तर देने की तारीख : 06.08.2025

'हमारी धरोहर'/'पीएम विकास' योजना

2770. कैप्टन बृजेश चौटा:

क्या अल्पसंख्यक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) 'हमारी धरोहर' योजना के उद्देश्य और घटक क्या हैं तथा 'पीएम-विकास' में इसके एकीकरण के बाद इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;
- (ख) इस योजना के अंतर्गत प्रारंभ से अब तक स्वीकृत अनुदानों का व्यौरा क्या है और सहायता प्राप्त सांस्कृतिक संरक्षण परियोजनाओं की संख्या कितनी है और किस प्रकार के कार्यकलाप को वित्त-पोषित किया गया है और लाभार्थियों की प्रोफाइल का राज्यवार व्यौरा क्या है;
- (ग) उक्त योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया का व्यौरा क्या है और गैर-सरकारी संगठनों, सांस्कृतिक समूहों और व्यक्तियों के लिए पात्रता मानदंड क्या है;
- (घ) क्या मौखिक परंपराओं, साहित्य या सामुदायिक संग्रहालयों सहित अल्पसंख्यक विरासत के संरक्षण के लिए दक्षिण कन्नड़ जिले से हमारी धरोहर या पीएम-विकास के अंतर्गत कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है या स्वीकृत किया गया है: और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस योजना के अंतर्गत आवेदनों को प्रोत्साहित करने के लिए दक्षिण कन्नड़ जैसे जिलों में आउटरीच या जागरूकता अभियान चलाने का है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख): हमारी धरोहर योजना भारत के अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने के लिए तैयार की गई है। इस योजना का उद्देश्य प्रदर्शनियों, साहित्य/दस्तावेजों के संरक्षण, सुलेख आदि को सहायता और संवर्धन, और अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से अल्पसंख्यकों की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना है। हमारी धरोहर योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे पूरे देश में परियोजना कार्यान्वयन

एजेंसियों (PIA) के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है तथा केंद्रीय रूप से अधिसूचित छह अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, पारसी और जैन को शामिल किया गया है।

इस योजना को अब प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) नामक एक नई एकीकृत योजना के अंतर्गत समायोजित कर लिया गया है, जो कौशल विकास के माध्यम से अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण पर केंद्रित है जिसमें अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (ICH) सहित पारंपरिक कला और शिल्प का संरक्षण/प्रसार; अल्पसंख्यक महिलाओं की उद्यमशीलता एवं नेतृत्व तथा स्कूल ड्रॉपआउट छात्रों के लिए शिक्षा सहायता शामिल है।

हमारी धरोहर योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक संस्कृति की प्रदर्शनियाँ, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, प्राचीन पुस्तकों/शास्त्रों का अनुवाद आदि गतिविधियाँ संचालित की गई थी। हमारी धरोहर योजना के अंतर्गत आवंटित, जारी/उपयोग की गई धनराशि का व्यौरा निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	वर्ष	आवंटन (संशोधित अनुमान)	व्यय
1.	2014-15	5.00	4.99
2.	2015-16	10.01	9.90
3.	2016-17	11.00	6.60
4.	2017-18	12.00	0.64
5.	2018-19	6.00	1.64
6.	2019-20	0.70	0.70
7.	2020-21	5.20	4.54
8	2021-22	2.00	1.66

हमारी धरोहर योजना लाभार्थी-केंद्रित योजना नहीं थी। इसका उद्देश्य प्रदर्शनियों के आयोजन, साहित्य/दस्तावेजों के संरक्षण आदि के माध्यम से भारत के अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना था। इसके अलावा, यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना थी। इसलिए, "हमारी धरोहर" योजना में लाभार्थी प्रोफ़ाइल या राज्यवार ऑकड़े नहीं रखे गए।

(ग): प्रधानमंत्री विकास योजना के पात्रता मानदंड, प्रधानमंत्री विकास योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार हैं, जो url <https://pmvikas.minorityaffairs.gov.in/uploads/documents/Guidelines-PM-VIKAS.pdf> पर उपलब्ध हैं।

(घ) और (ड): अभी तक, मंत्रालय को प्रधानमंत्री विकास योजना या हमारी धरोहर योजना के अंतर्गत सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु दक्षिण कन्नड जिले से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। मंत्रालय ने पहले ही कर्नाटक राज्य सरकार को प्रधानमंत्री विकास योजना के अंतर्गत प्रस्ताव आमंत्रित करते हुए पत्र लिखा है।
